संख्या–07– /XV-2/01(16)/2006

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 04–~~जनवरी~~ फरवरी, 2014:

विषय– वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास योजना (टी0एस0पी0) में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत जनपद चमोली दुग्ध संघ को प्लाण्ट मशीनरी (मिल्क एनालाइजर स्थापना) हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1480/लेखा–प्रस्ताव आयो0टीएसपी/2013–14, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 के संदर्भ में एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवशेष धनराशि कुल रू0 1.31 लाख (रूपये एक लाख इक्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इस आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–09 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकिन करना सुनिश्चित करेंगे।
8. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो समक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2014 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः 2

10. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।
11. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि अनुसूचित जनजाति के सदस्य संख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत ही हो।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–डेरी विकास–00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(i)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश दिनांक 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-07-(1)/XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
अनु सचिव।